

न्यायालय  
भीलवाड़ा  
उपखण्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
प्रीठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-162/2019 प्रार्थना पत्र

श्री देबीलाल पिता सोला कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—प्राथी

बनाम

- 1-श्री नंदा पिता देबी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री किशोर पिता लक्ष्मण कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-ठाकरी पिता हजारी गूजर, उम्र बालिग निवासी गुवारड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्री चतरभुज पिता चूना गूजर, उम्र बालिग निवासी गुवारड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-श्री देबीलाल पिता जयराम भील, उम्र बालिग निवासी गुवारड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-श्री देबीलाल पिता गोपी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी गुवारड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-23.10.2019

वकील प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 352/1, 604/2, 611/2, 612/2, 615/3, 1155/1, 1157, 603/6, 617 कुल कित्ता 9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्राथी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्राथी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्राथी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्राथी का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1,2,3,4,5,6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 25.9.2019 को पारित किया गया।

वकील प्राथी ने बहस करनी चाही। वकील प्राथी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्राथी ने कथन किया कि प्राथी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्राथी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगद्दी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा



प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में ताल आराजी नम्बर 352/1, 604/2, 611/2, 612/2, 615/3, 1155/1, 1157, 603/6, 617 आ जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, आटूण को 500/-रुपये (पाँच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।



(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

**उपखण्ड अधिकारी**

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में



**उपखण्ड अधिकारी**

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

